भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा–144 के अन्तगर्त आदेश

संज्ञान में आया है, कि प्रतिदिन काफी संख्या में कर्मचारियों/लोगों का आवगमन जिला कैथल में दूसरे जिलों एवं प्रान्तों से होता है जिसके कारण जिला कैथल में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिला कैथल में भी संक्रमण के मामले पाए जा चुके है। इसके अतिरिक्त जिला कैथल में पाए गए कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्तियों का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे प्रान्तों में आवागमन या जिलों एवं प्रान्तों से आवागमन करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्ध रहा है। इस प्रकार दूसरे प्रान्तों से प्रतिदिन आवगमन जिला कैथल के निवासियों के स्वास्थ्य के प्रतिकूल है।

उपरोक्त परिस्थिति के मध्यनजर, जिला कैथल के आमजन के स्वास्थ्य व कोरोना वायरस के जिला कैथल में फैलाव की रोकथाम के दृष्टिगत आदेश जारी किए जाने अति आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अन्य प्रान्तों से जिला कैथल में प्रवेश करता है तो इस बारे सम्बन्धित क्षेत्र के सरपंच, ग्राम सचिव, पटवारी, आशा वर्कर, पार्षद व संबंधित व्यक्ति जिसके घर या प्रतिष्ठान पर ऐसा कोई बाहरी व्यक्ति आया है, वे तुरन्त सूचना पुलिस विभाग व स्वास्थ्य विभाग को देंगे।

अतः **मैं, सुजान सिंह, आई.ए.एस., जिलाधीश, कैथल** भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–144 के अन्तगर्त निहिंत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों/आम व्यक्तियों के प्रतिदिन जिला कैथल से अन्य प्रान्तों से बिना वजह आवागमन पर रोक लगाता हूँ।

समय की कमी व परिस्थितियों को मध्यनजर यह आदेश एकतरफा पारित किया गया है तथा जन सामान्य को सम्बोधित है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से **दिनांक 30–06–2020** तक लागू रहेंगे।

इन आदेशों की ढोल बजाकर एवं जिला सम्पर्क विभाग की वैन द्वारा प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से तथा पुलिस स्टेशनों, जिला कचैहरी, उपमण्डल कचैहरी, तहसील कचैहरी व सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा करके प्रचार–प्रसार किया जाये।

इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह आदेश **आज दिनांक** 17–06–2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया है।

DISTRICT MAGISTRATE KAITHAL

जिलाधीश, कैथल।

पृ0क्रमांक 39688–807 /एम0ए0 दिनांक 17/06/2020

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, चण्डीगढ।
4. मण्डल आयुक्त, करनाल मण्डल, करनाल।
5. महानिदेशक पुलिस, हरियाणा, पंचकूला।
6. महानिरीक्षक पुलिस, करनाल मण्डल, करनाल।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैथल।
8. राज्य के सभी उपायुक्त।
9. अतिरिक्त उपायुक्त, कैथल।
10. पुलिस अधीक्षक, कैथल।
11. उपमण्डल अधिकारी (ना0), कैथल/गुहला/कलायत।
12. जिला राजस्व अधिकारी, कैथल।
13. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल।
14. जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
15. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, कैथल।
16. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद, कैथल।
17. सचिव, नगरपालिका, चीका/पूण्डरी/कलायत/राजौन्द।
18. जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
19. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कैथल को भेजते हुए लिखा जाता है कि उक्त आदेशों को जिला कैथल की वैबसाईट पर अप–लोड करने का कष्ट करें।
20. आशुलिपिक/उपायुक्त।

DISTRICT MAGISTRATE KAITHAL

जिलाधीश, कैथल।